

[TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE PART- IV EXTRA –ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(TRANSPORT DEPARTMENT)
5/9, UNDER HILL ROAD, DELHI-54.

No.F. DC/OPS/Tpt/285/2014/232

Dated the 24th Nov., 2014

NOTIFICATION

No.F.DC/OPS/Tpt/285/2014/232 .- Whereas the draft of the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014 was published as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, No.F. DC/OPS/Tpt/285/2014/110, dated the 16th June, 2014 in the Delhi Gazette Part-IV Extra-ordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of seven days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, no objection / suggestion has been received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (o) and (p) of sub-section (2) of section 65, read with clause (41) of section 2 and sub-section (2) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:-

RULES

Short title and commencement.—

1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their

publication in the Delhi Gazette.

Amendment of
rule 44 .-

2. In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, (hereinafter referred to as the said Rules), for rule 44 the following shall be substituted, namely:-

“44. Maintenance of State Register of Motor Vehicles.- The State Register of Motor Vehicles shall be maintained by the registering authority in the electronic format in Form 41 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.”

3. In the said Rules, rules 44 A and 44 B shall be deleted.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,



(Gyanesh Bharti)
Secretary-cum-Commissioner (Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(परिवहन विभाग)
5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली-110 054.

No.F. DC/OPS/Tpt/285/2014/232

दिनांक: 24th Nov - 2014

अधिसूचना

No.F. DC/OPS/Tpt/285/2014/232—जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमवली, 2014 का संशोधन करने के लिये कुछेक नियमों का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 16/06/2014 की अधिसूचना संख्या DC/OPS/Tpt/285/2014/110 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग-चार असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से सात दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया।

और, उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

अतः अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (2) तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ओ) तथा (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .- 1. (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (चौथा संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

नियम 44 का संशोधन .- 2. दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) का मूल नियम 44 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

"44 मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण - मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर का अनुरक्षण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के प्रपत्र 41 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जायेगा।

3. उक्त नियमों के नियम 44क तथा 44ख का विलोपन किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ज्ञानेश भारती

(ज्ञानेश भारती)
सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)